



कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

Tel/ Fax No. 01382-228467

E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com



पत्रांक-2931 / B-3 ,दिनांक, कोटद्वार, 14 : फरवरी : 2024.

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों हेतु मोहर बन्द निविदायें दिनांक 26-02-2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा के साथ बन्धक धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर की एन0एस0सी0/सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो "प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार" के नाम निरुक्ति (Pledge) हो संलग्न करना अनिवार्य है। लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार में सम्बन्धित कार्य हेतु "प्रभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म/संस्था" ही अपेक्षित निविदा के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 24-02-2024 तक निर्धारित शुल्क जमा कर किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक प्रभागीय कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक 26-02-2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर फर्म/संस्था/ठेकेदार के हस्ताक्षर हो संलग्न किया जाये। जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की वर्तमान वैध प्रमाण-पत्र एवं विगत दो वर्ष के टैक्स रिटर्न फाइलिंग की स्व सत्यापित छायाप्रति निविदा की शर्तों की मंजूरी के साथ लगाना अनिवार्य है। निविदा की शर्तें व अन्य विवरण प्रभाग के सूचना पट पर अथवा विभागीय वेबसाईड- www.forest.uk.gov.in पर अवलोकित किये जा सकते हैं।

पंजीकृत डाक से प्राप्त निविदायें दिनांक 26-02-2024 को ही अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अधीन अधीकृत समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा खुलते समय निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। टेण्डर के निम्नलिखित विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर व कार्य को मौके पर समझकर टेण्डर दें :-

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित धनराशि (रु0)	नेक जमानत की धनराशि (रु0)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	कोटद्वार रेंज के अन्तर्गत नगर वन क्षेत्र पनियाली क0सं0-01 व 02 में हाथी एवं वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु चैनलिंग फेन्सिंग कार्य (750 मी0) (जॉब-01)	19,10,000	57300	1500+CGST/7 SGST	20 दिन
2	कोटद्वार रेंज के अन्तर्गत नगर वन क्षेत्र पनियाली क0सं0-01 व 02 में हाथी एवं वन्य जीवों से सुरक्षा हेतु चैनलिंग फेन्सिंग कार्य (450 मी0) (जॉब-02)	11,40,000	34200	1500+CGST/7 SGST	20 दिन

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- 1- निविदादाता द्वारा लिफाफे के बाहर कार्य का नाम तथा प्रभाग में रजिस्ट्रेशन का क्रमांक/जॉब नम्बर भी स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।
- 2- कार्य का प्राक्कलन, कार्यस्थल एवं दरों का भली-भाँति परीक्षण करें।
- 3- निविदा गोल ठेके पर दिया जाय और उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि निविदादाता कार्य की अनुमानित धनराशि को कितने प्रतिशत कम या अधिक पर कार्य करने को तैयार है।
- 4- सशर्त डाली गई निविदा रद्द समझी जायेगी। निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद निविदा नोटिस में दी गई शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा।
- 5- निविदा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाये। दस्ती अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 6- सक्षम अधिकारी, प्राप्त न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 7- प्राप्त होने वाली निविदाओं में सफल निविदा की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने के पश्चात ठेकेदार को कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
- 8- ठेकेदार को कार्यों हेतु स्वीकृत/अनुमोदित दरों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के आधार पर शुरुआत की कार्यवाही की जायेगी।
- 9- कार्यदेश निर्गत होने से पूर्व ठेकेदार द्वारा निविदा की कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा व कार्यदेश के पश्चात प्रतिज्ञा/अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर कार्य तीन दिन के अन्दर प्रारम्भ करना होगा, ऐसा न करने पर ठेकेदार को धनराशि जब्त कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- 10- निविदादाता द्वारा दी गई दर 5 प्रतिशत से ऊपर कम होने पर Performance security जमा करानी होगी।
- 11- निर्माण कार्य प्राक्कलन में दिये गये कार्य विवरण के अनुसार निर्धारित मानकों के आधार पर सम्पादित करना अनिवार्य होगा।
- 12- कार्य का प्राक्कलन सम्बन्धित रेंज कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय, कोटद्वार में किसी भी कार्य दिवस में अवलोकित किया जा सकता है।
- 13- प्राक्कलन के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित आज्ञा से किया गया तो उसका भुगतान करने के लिये विभाग बाध्य न होगा।

- 14- कार्य को कार्यादेश की तिथि से निविदा की तालिका के अनुसार दी गई अवधि के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में पूर्ण करवा होगा। कार्य करने हेतु अवधि विस्तार किसी भी दशा में प्रदान नहीं किया जायेगा, किन्तु अगर प्रभागीय वनाधिकारी सहमत हो तो विशेष परिस्थिति में अवधि विस्तार कर सकते हैं।
- 15- कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए। गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कार्य को ध्वस्त किया जा सकता है, जिसे ठेकेदार को अपने खर्च पर पुनः पूर्ण करना होगा या फिर गुणवत्ता में कमी के अनुसार ठेकेदार के भुगतान से निगम अनुसार निर्धारण चार्ट तैयार कर वसूल की जायेगी, जिसका आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो जमानत जब्त कर ली जायेगी।
- 16- कार्य का निरीक्षण समय-समय पर प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अथवा रेंज अधिकारी या प्रभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी जो भी इस कार्य के लिये नियुक्त होंगे, द्वारा किया जायेगा और उनके कथनानुसार ठेकेदारों को सब कार्य प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने होंगे।
- 17- कार्य का पूर्ण भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद तथा कार्य पूर्णतः सन्तोषजनक पाये जाने पर ही किया जायेगा।
- 18- ठेकेदार अपने स्वीकृत कार्य का कोई भी भाग दूसरे ठेकेदार को नहीं दे सकता। ऐसे अवैधानिक ठेके किसी भी हात में स्वीकार नहीं किये जायेगे।
- 19- ठेकेदार द्वारा कार्य समाप्त होने पर कार्य स्थल की साफ-सफाई उचित रूप से करनी होगी।
- 20- ठेकेदार को भुगतान करते समय वित्तीय नियमों के अनुसार (जी0एस0टी0, आयकर, स्टॉम्प शुल्क एवं रॉयल्टी आदि) कटौतियां की जायेगी। ठेकेदार को भुगतान कर देने के पश्चात भी यदि कोई राजकीय कर की देयता ज्ञात होती है, तो ठेकेदार इस कर/देयता को जमा करने के लिये बाध्य होगा।
- 21- विभाग कोई सामग्री ठेकेदार को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 22- ठेकेदार को वन क्षेत्र की नदियों से निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत व रोड़ी आदि चुगान की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त सामग्री ठेकेदार द्वारा स्वयं बाजार से क्रय कर लानी होगी। पूछने पर प्रयुक्त की जानी वाली सामग्री के सम्बन्ध में ठेकेदार को रसीद/रवन्ना मौके पर दिखाना होगा।
- 23- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की पत्र संख्या-211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26-02-2011 संशोधित नियमावली के तहत नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त बजरी, मिट्टी, बोल्टर की रॉयल्टी निर्धारित दर पर जमा की जायेगी।
- 24- 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि कार्य के अन्तिम भुगतान/अन्तिम एम0बी0 तिथि के एक वर्ष बाद सम्बन्धित वन क्षेत्र अधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर अवमुक्त की जायेगी।
- 25- वन क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु भारी मशीन/उपकरणों का प्रयोग वर्जित होगा।
- 26- निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार अथवा उनके किसी श्रमिक को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार दण्डित किया जाएगा।
- 27- कार्य पर किसी भी प्रकार की स्थिति में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा मध्यस्था की जायेगी, जिसका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा तथा विवाद क्षेत्र स्थानीय मा0 न्यायालय होगा।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक :- 2931 (1)/3-3, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक, (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 2- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- उप वन संरक्षक, आई0टी0 सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अक्षर से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति/निविदा शर्तों को विभागीय वेबसाईड-www.forest.uk.gov.in पर अपलोड करने का कट करे।
- 4- उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार/लैन्सडौन उप वन प्रभाग।
- 5- समस्त वन क्षेत्राधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
- 6- प्रभागीय नोटिस बोर्ड।
- 7- गार्ड पत्रावली।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।